



2026:AHC-LKO:20799

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सं. - 172/2017

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्रीमती मिथिलेश सिंह और 2 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सुरेन्द्र पाल सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : जे.पी. सिंह चौहान, रविन्द्र प्रसाद मिश्र

न्यायालय सं. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, लखनऊ द्वारा दावा याचिका संख्या- 74/2013 में दिनांक 22.12.2016 को दिए गए निर्णय और दिनांक 03.01.2017

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को दिए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके अंतर्गत दावाकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में ब्याज सहित 79,066/- रुपये का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया गया है।

3. वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.05.2012 को लगभग अपराह्न 3:15 पंजीकरण संख्या यू.पी. 32 सी.एन. 1082 वाला एक टेम्पो (विक्रम) उपेक्षापूर्ण और तेज़ी से चलाया जा रहा था। ऐसी तेज़ गति के कारण, वाहन अनियंत्रित हो गया, वह डिवाइडर से टकराया और पलट गया, जिसके परिणामस्वरूप दावाकर्ता को गंभीर चोटें आईं, जिनमें उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर भी शामिल था। चालक वाहन को वहीं छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया। इसके बाद, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, और दावाकर्ता को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी सर्जरी हुई और उसके हाथ में एक रॉड डाली गई। वह चार महीने तक इलाज के अधीन रही, जिसके बाद दो महीने तक उसकी फिजियोथेरेपी चली। इलाज के बावजूद, उसे अपना काम ठीक से करने में लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ा। तदनुसार, उसने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनऊ के समक्ष एक दावा याचिका दाखिल की।

4. अधिकरण ने, दोनों पक्षों के कथनों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित विवादक विरचित किए:-

"1. क्या दिनांक 10.05.2012 को समय लगभग 3.15 बजे दिन में लखनऊ कानपुर

रोड स्थित बाबा होटल के सामने थाना सरोजनी नगर जला लखनऊ में वाहन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विक्रम संख्या यू०पी०३२-सी०एन० १०८२ के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया जिससे वाहन में सवार मिथलेश सिंह को गम्भीर चोटें आयीं?

२. क्या उक्त दुर्घटना के समय वाहन विक्रम संख्या यू०पी०३२-सी०एन० १०८२ वपक्षी कमांक संख्या-२ नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से बीमित था?

३. समय वाहन विक्रम क्या उक्त दुर्घटना के संख्या यू०पी०३२-सी०एन० १०८२ के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था और वाहन का संचालन बीमा की शर्तों के अनुरूप किया जा रहा था?

४. क्या याचिनी प्रतिकर की धनराशि पाने की अधिकारिणी है, यदि हाँ तो कितनी और किस पक्षकार से? "

५. प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दुर्घटना दिनांक १०.०५.२०१२ को टेम्पो की उपेक्षापूर्ण और तेज़ रफ़्तार के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप टेम्पो पलट गया और दावाकर्ता को चोटें आईं। अधिकरण ने आगे यह माना कि वाहन का बीमा बीमा कंपनी के पास विधिवत था और दुर्घटना के समय चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। चोटों की प्रकृति को देखते हुए, अधिकरण ने दिनांक २२.१२.२०१६ के आदेश के माध्यम से ७९,०६६/- रुपये का प्रतिकर दिया।

6. उक्त आदेश को बीमा कंपनी ने इस अपील के माध्यम से चुनौती दी है।
7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि दुर्घटना के समय, वाहन को अनुमत क्षेत्र से बाहर चलाया जा रहा था।
8. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि बीमा कंपनी ने यह अपील केवल भुगतान से बचने के लिए दाखिल की है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि परमिट की शर्तों के उल्लंघन का विवादक अधिकरण के समक्ष कभी उठाया ही नहीं गया था। यह भी दलील दी गई है कि अधिकरण पहले ही यह निष्कर्ष दर्ज कर चुका है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास वैध परमिट था।
9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।
10. इस अपील में उठाया गया विवादक संबंधित अधिकरण के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे केवल 79,066/- रुपये के भुगतान से बचने के लिए उठाया गया है। अपीलकर्ता का तर्क स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है, क्योंकि इसे अधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा किसी अन्य विवादक पर बहस नहीं की गई।



11. इस प्रकार के तर्क को अपीलीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता; तदनुसार, यह अपील गुण-दोष से रहित है और इसलिए इसे **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

23 मार्च 2026

सौरभ यादव/